अनुसूची–१४ –फारम स0 ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 74/2012

सुरेन्द्र सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा, मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
07.05.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी,मढौरा,सारण के आदेश ज्ञापांक 2203, दिनांक 24.07.2012 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 10.01.2012 को सुरेन्द्र सिंह, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0–09/2007, पंचायत–अरना, प्रखंड–मशरक, थाना–मशरक जिला–सारण की दूकान की जांच जिला स्तरीय जांच दल सं0 4(श्री अनिल चौधरी जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सारण) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गयीः– (1) लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं। (2) संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं। (3) अभिलेख अनुमंडल कार्यालय में रखना। (4) कैशमेमो नही देना। (5) उपकरण का सत्यापन नहीं करांना। (6) बी0पी0एल0का खाद्यान्न 20 कि0ग्रा0 150 रू0 में तथा 2.50 लीटर तेल 50 में देना। उक्त अनियमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा, सारण के ज्ञापांक 595 ,दिनांक 22.03.2012 के द्वारा विक्रेता से कारण–पृच्छा किया गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत	

किया गया, जिसे असंतोषजनक पाकर अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि लाभुको की सूची एवं खाद्यान्न का संयुक्त नमूना प्रदर्शित करने के संबंध में विभागीय दिशा निदेश की जानकारी विक्रेता को नहीं थी, जिस वजह से उनके द्वारा इनका प्रदर्शन नही किया गया था। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा दिए गए निदेश के आलोक में दिनांक 07.01.2012 को सभी अभिलेख एवं कागजात अनुमंडल कार्यालय, मढौरा में जमा कर दिया गया था, जिसकी प्राप्ति रसीद विक्रेता के द्वारा अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया है। विक्रेता के द्वारा वितरण पंजी पर विक्रेता से संबंधित सभी विवरणी अंकित कर वितरण कार्य किया जाता है। माप-तौल के उपकरण का सत्यापन एवं नवीकरण हेतु संबंधित विभाग में कागजात जमा है, लेकिन जांच की तिथि तक उसका नवीकरण हो कर प्राप्त नहीं हुआ था। अनुज्ञापन पदाधिकारी के कारण पृच्छा में कही भी अंकित नही किया गया है कि किन उपभोक्ताओं के द्वारा विक्रेता के विरूद्ध शिकायत की गई। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का उठाव कर प्राप्त कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। कुछ ग्रामीणों के द्वारा विक्रेता को परेशान करने की नीयत से झूठा आरोप लगाया गया है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमतता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2203, दिनांक 24.07.2012) एक मुखर आदेश नहीं है। अभिलेख में विक्रेता के विरूद्ध दिए गए कुल 3 उपभोक्ताओं का बयान रक्षित है, लेकिन न तो उसकी प्रति विक्रेता को उपलब्ध कराते हुए उनसे कारण पृच्छा किया गया, या न ही उनका नाम एवं

उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख ही कारण पृच्छा में किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को सीधे असंतोषजनक कहकर अस्वीकृत कर देना उचित नही है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति उपलब्ध कराते हुए पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओ पर कारण पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक विधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

08/05/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

08/05/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 311 /न्या0, दिनांक 08/05/2015

प्रतिलिपिः- अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा,सारण को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

8/5/15

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।

08/05/15